

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों उम्मीदवारों के लिए

सामान्य जानकारी

1. प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना (पीएमआईएस) क्या है?

उत्तर :- प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटरशिप के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक जीवन के व्यावसायिक वातावरण से परिचित कराता है, जिससे उन्हें मूल्यवान कौशल और कार्य अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में युवाओं को एक करोड़ इंटरशिप प्रदान करना है।

2. इंटरशिप क्या है? मुझे इंटरशिप क्यों करनी चाहिए?

उत्तर :- इंटरशिप इंटरन और कंपनी के बीच एक व्यवस्था है जिसमें कंपनी इंटरन को व्यवसाय या संगठन के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है जो अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है, बदले में, उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है।

3. प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के माध्यम से मुझे किस प्रकार की इंटरशिप मिलेगी?

उत्तर :- योग्य उम्मीदवारों को आईटी और सॉफ्टवेयर विकास, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, तेल, गैस और ऊर्जा, धातु और खनन, एफएमसीजी (फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स), दूरसंचार, बुनियादी ढांचा और निर्माण, खुदरा और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, सीमेंट और निर्माण सामग्री, ऑटोमोटिव, फार्मास्युटिकल, विमानन और रक्षा, विनिर्माण और औद्योगिक, रसायन, मीडिया, मनोरंजन और शिक्षा, कृषि और संबद्ध, परामर्श सेवाएं, कपड़ा विनिर्माण, रत्न और आभूषण, यात्रा और आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमिकाओं में इंटरशिप मिलेगी।

4. मुझे किस तरह की कंपनियों में इंटरशिप करने का मौका मिलेगा?

उत्तर :- चयनित उम्मीदवारों को भारत भर की शीर्ष 500 कंपनियों के साथ इंटरशिप करने का अवसर मिलेगा। इन उद्योग-अग्रणी कंपनियों के साथ इंटरशिप करने से आपको बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने, नए कौशल हासिल करने और महत्वपूर्ण पेशेवर नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। कंपनी अपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड सप्लाइ चैन और अपने समूह की अन्य कंपनियों में या अन्यथा इंटरशिप भी प्रदान कर सकती है।

5. इंटरशिप की अवधि क्या है?

उत्तर :- प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत इंटरशिप एक वर्ष (12 महीने) की अवधि के लिए होगी।

6. क्या मैं अपनी इंटरशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा?

उत्तर :- इंटरशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा (6 महीने) वास्तविक कार्य अनुभव/नौकरी के माहौल में बिताया जाना चाहिए, न कि कक्षा में। जबकि इंटरशिप के एक निश्चित हिस्से में प्रासंगिक प्रशिक्षण शामिल होगा, आपकी इंटरशिप की एक महत्वपूर्ण अवधि (कम से कम 6 महीने) पेशेवर सेटअप में वास्तविक दुनिया के अनुभव पर केंद्रित होगी।

7. क्या इंटरशिप के बाद मुझे नौकरी मिलेगी?

उत्तर :- प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना भारत में शीर्ष कंपनियों के साथ काम करके अपने कौशल को सीखने और बढ़ाने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। हालाँकि यह योजना पूरी होने पर नौकरी की गारंटी नहीं देती है, लेकिन इंटरशिप के दौरान आपके द्वारा विकसित ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और पेशेवर नेटवर्क आपके करियर की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देंगे।

पात्रता मापदंड

8. क्या मैं प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर :- प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

- आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आपकी आयु 21-24 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक)।
- आपको पूर्णकालिक रूप से नौकरी में नहीं होना चाहिए या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए (ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार पात्र हैं)।

- आपने अपना माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) या इसके समकक्ष, उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (एचएससी) या इसके समकक्ष पूरा किया होगा, या आपके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से प्रमाणपत्र, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा, या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा आदि जैसी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

9. क्या अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर :- नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

10. यदि मैं ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित हूँ तो क्या मैं इंटरशिप अवसर के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर :- हां, ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार शिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

11. क्या विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है?

उत्तर :- प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना में औपचारिक आरक्षण प्रावधान नहीं है, लेकिन पोर्टल को विविधता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एल्गोरिदम एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों सहित आबादी के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया विविधता और समावेश पर जोर देती है, जिससे कंपनियों को अपने स्वयं के मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने की अनुमति मिलती है, जबकि पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि विविध पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों पर इंटरशिप के लिए विचार किया जाए। यह दृष्टिकोण कार्यक्रम में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में मदद करता है।

अयोग्यता मानदंड

12. प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

उत्तर :- आप प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं यदि:

- आपकी आयु 21 वर्ष से कम या 24 वर्ष से अधिक होनी चाहिए (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार)।
- आप वर्तमान में पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में लगे हुए हैं।
- आपने आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आईआईएसईआर, एनआईडी या आईआईआईटी जैसे विशिष्ट संस्थानों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।
- आपके पास उन्नत योग्यताएं जैसे CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA, PhD, या कोई मास्टर डिग्री या उच्च योग्यता (UGC द्वारा मान्यता प्राप्त) हो।
- आप किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत कोई कौशल, प्रशिक्षुता, इंटरशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं।
- आपने पहले ही राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत प्रशिक्षुता पूरी कर ली है।
- आपके परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹8 लाख से अधिक है।
- आपके परिवार का कोई भी सदस्य (स्वयं, माता-पिता या पति/पत्नी) स्थायी/नियमित सरकारी कर्मचारी है (अनुबंधित कर्मचारियों को छोड़कर)। "सरकार" में केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), वैधानिक संगठन और स्थानीय निकाय शामिल हैं।

13. यदि मैं ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित हूँ तो क्या मैं इंटरशिप अवसर के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर :- हां, ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार शिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

14. क्या मास्टर डिग्री होने से मुझे प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी?

उत्तर :- मास्टर डिग्री रखने वाले या सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पीएम इंटरशिप योजना के तहत इंटरशिप के अवसर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

वित्तीय सहायता

15. क्या मुझे इंटरशिप करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी?

उत्तर :- इंटरशिप में शामिल होने के बाद, प्रत्येक इंटरन को 12 महीने की इंटरशिप की पूरी अवधि के लिए ₹5,000 की मासिक सहायता मिलेगी। इस राशि में से:

- साझेदार कंपनियां इंटरन की उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर हर महीने 500 रुपये जारी करेगी।
- एक बार कंपनी द्वारा भुगतान कर दिए जाने के बाद, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रशिक्षु के आधार से जुड़े बैंक खाते में 4,500 रुपये का भुगतान करेगी।

- इसके अतिरिक्त, इंटरशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटरन को भारत सरकार द्वारा ₹6,000 का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। इंटरशिप में शामिल होने के बाद यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- भारत सरकार की बीमा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत इंटरन को बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, कंपनी इंटरन को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है।

16. क्या मुझे इंटरशिप की अवधि के दौरान यात्रा भत्ता या अन्य सहायता मिलेगी?

साल :-

- भागीदार कंपनियाँ अपने विवेक के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता या कोई अन्य सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकती हैं। आपके द्वारा चुनी गई इंटरशिप में कोई अन्य लाभ जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी।
- इंटरशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटरन को भारत सरकार द्वारा ₹6,000 का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान आपकी इंटरशिप यात्रा की शुरुआत में आपकी सहायता करने के लिए है।
- अपनी इंटरशिप के दौरान आपको ₹5,000 की मासिक सहायता मिलेगी।

17. क्या इंटरशिप के बाद भी बीमा कवर जारी रहेगा?

उत्तर :- नहीं, आपकी इंटरशिप पूरी होने पर बीमा का लाभ समाप्त हो जाएगा।

18. क्या मुझे अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी?

उत्तर :- अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

19. क्या मुझे इंटरशिप के लिए कपड़े खरीदने हेतु कोई वित्तीय सहायता मिलेगी?

उत्तर :- कपड़े खरीदने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। हालाँकि, आपके इंटरशिप में शामिल होने के बाद, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में ₹6000 का एकमुश्त अनुदान हस्तांतरित किया जाएगा।

20. आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है?

उत्तर :- विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग आवश्यक है। आधार सीडिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ क्लिक करें

आवेदन प्रक्रिया

21. इंटरन का चयन कैसे किया जाएगा?

उत्तर :- इंटरन का चयन एक वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, सामाजिक रूप से समावेशी और तकनीक-संचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार पीएम इंटरशिप पोर्टल (<https://pminternship.mca.gov.in/>) पर पंजीकरण करेंगे, अपना प्रोफाइल पूरा करेंगे, अपना सीवी तैयार करेंगे और उपलब्ध अवसरों की सूची में से अपनी प्राथमिकताएँ प्रस्तुत करेंगे।

- शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं और कंपनियों द्वारा पोस्ट की गई आवश्यकताओं पर आधारित होगी। शॉर्टलिस्टिंग मानदंड का उद्देश्य इंटरशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। पोर्टल एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों सहित आबादी के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपकरणों का उपयोग करता है।
- प्रत्येक इंटरशिप के लिए प्रस्तावों की संख्या के आधार पर, लगभग दोगुने/तीनगुने नाम, उम्मीदवारों के बायोडाटा के साथ, चयन के लिए कंपनी को भेजे जाएंगे।
- इसके बाद वे उम्मीदवारों का चयन करेंगे और उनके संबंधित चयन मानदंडों के आधार पर इंटरशिप की पेशकश करेंगे।

22. पीएम इंटरशिप योजना पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

उत्तर :- पात्र अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए:

- आधार कार्ड
 - शैक्षिक प्रमाण पत्र (पूर्णता / अंतिम परीक्षा / मूल्यांकन प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा)।
 - नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो (वैकल्पिक)।
- अन्य बातों के लिए स्व-घोषणा ही पर्याप्त होगी। किसी दस्तावेज के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

23. मैं कितने इंटरशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर :- अभ्यर्थी अधिकतम 5 इंटरशिप विकल्पों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका चयन उनके पसंदीदा स्थान, क्षेत्र, भूमिका और योग्यता के आधार पर किया जा सकता है।

24. क्या मैं पोर्टल पर अपनी पांच इंटरशिप प्राथमिकताओं को बदल सकता हूँ?

उत्तर :- हां, आप आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पोर्टल पर अपनी पांचों प्राथमिकताओं को जितनी बार चाहें बदल सकते हैं। हालाँकि, एक बार अपनी प्राथमिकताएँ सबमिट करने के बाद, आप उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते।

25. यदि मुझे मेरे पांच पसंदीदा अवसरों में से किसी के लिए भी नहीं चुना गया तो क्या होगा?

उत्तर :- यदि अभ्यर्थी को पांच में से किसी भी अवसर के लिए चयनित नहीं किया जाता है तो वह प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के आगामी चक्रों के लिए पुनः आवेदन कर सकता है।

26. मुझे अधिकतम कितने इंटरशिप ऑफर मिल सकते हैं?

उत्तर :- एक उम्मीदवार को अधिकतम दो इंटरशिप ऑफर मिल सकते हैं। एक बार ऑफर मिलने के बाद, उम्मीदवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑफर को स्वीकार/अस्वीकार करना होगा।

27. यदि मैं उस इंटरशिप को स्वीकार नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे चुना गया है तो क्या होगा?

उत्तर :- अभ्यर्थी इंटरशिप के अपने प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं। हालाँकि, यदि कोई अभ्यर्थी इंटरशिप को अस्वीकार करता है, तो वह केवल प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के भविष्य के चक्रों में ही पुनः आवेदन कर सकेगा।

28. यदि मैं इंटरशिप ऑफर स्वीकार कर लूँ तो मुझे अंतिम ऑफर लेटर कैसे मिलेगा?

उत्तर :- आपका अंतिम ऑफर लेटर प्रधानमंत्री इंटरशिप पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और साथ ही आपके पंजीकृत ईमेल पते पर अनुलग्नक के रूप में भेजा जाएगा।

अन्य सहायता:

29. यदि मैं इंटरशिप ऑफर स्वीकार कर लूँ तो मुझे अंतिम ऑफर लेटर कैसे मिलेगा?

उत्तर :- आपका अंतिम ऑफर लेटर प्रधानमंत्री इंटरशिप पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और साथ ही आपके पंजीकृत ईमेल पते पर अनुलग्नक के रूप में भेजा जाएगा।

30. क्या इंटरशिप पूरी करने के बाद रोजगार की कोई गारंटी है?

उत्तर :- नहीं, प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना इंटरशिप पूरी करने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं देती है। हालाँकि, कंपनियाँ ऐसे इंटरन को रोजगार देने का विकल्प चुन सकती हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान असाधारण प्रदर्शन करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंटरशिप की पेशकश मंत्रालय, कंपनी और इंटरन के बीच कोई संविदात्मक या कानूनी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं बनाती है। इसके अतिरिक्त, इंटरशिप को कंपनी या मंत्रालय द्वारा भविष्य में रोजगार के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

31. क्या मैं इंटरशिप को 12 महीने से आगे बढ़ा सकता हूँ?

उत्तर :- नहीं, इंटरशिप की अवधि 12 महीने निर्धारित है। प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

32. क्या मैं अपनी इंटरशिप के दौरान छुट्टी ले सकता हूँ?

उत्तर :- हां, आप साझेदार कंपनी की नीतियों के अनुसार छुट्टियाँ ले सकते हैं।

33. क्या मुझे छुट्टियाँ मिलेंगी?

उत्तर :- हां, चयनित उम्मीदवार अपनी कंपनी की अवकाश सूची के अनुसार छुट्टियों के लिए पात्र होंगे।

34. चिकित्सा या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर :- ऐसे मामलों में, साझेदार कंपनी की नीतियों के अधीन, प्रशिक्षुओं को दो महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है।

35. क्या मैं अवकाश के बाद पुनः इंटरशिप में शामिल हो सकता हूँ?

उत्तर :- हां, यदि ब्रेक दो महीने से अधिक नहीं है तो इंटरन पुनः शामिल हो सकते हैं और 12 महीने की इंटरशिप अवधि की शेष अवधि पूरी कर सकते हैं।

36. यदि अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो तो क्या होगा?

उत्तर :- यदि अवकाश दो महीने से अधिक है, तो प्रशिक्षु को इंटरशिप बंद करनी होगी। अभ्यर्थी अगले इंटरशिप ऑफर चक्र में फिर से आवेदन कर सकता है।

37. यदि मैं दो महीने से कम का अवकाश लेता हूँ, तो क्या मुझे फिर भी इंटरशिप प्रमाणपत्र मिलेगा?

उत्तर :- हां, यदि अवकाश दो महीने से कम है, तो भी अभ्यर्थी को कंपनी की संतुष्टि के अनुसार इंटरशिप पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

38. क्या मैं चिकित्सा संबंधी आपातस्थिति या पारिवारिक समस्याओं के अलावा अन्य कारणों से अवकाश का अनुरोध कर सकता हूँ?

उत्तर :- पारिवारिक आपात स्थिति जैसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या ऐसी ही अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में अवकाश दिया जा सकता है। इंटर्न को अपनी विशिष्ट स्थिति पर चर्चा करने के लिए अपने पर्यवेक्षक या सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। अवकाश देने या न देने का अंतिम निर्णय कंपनी पर निर्भर करेगा।

39. यदि मुझे इंटरशिप पूरी होने से पहले ही छोड़नी पड़े तो क्या होगा?

उत्तर :- यदि कोई इंटर्न इंटरशिप पूरी होने से पहले ही छोड़ देता है, तो उसे अपने पर्यवेक्षक और कार्यक्रम समन्वयक को सूचित करना होगा।

40. यदि मैं पढ़ाई पूरी होने से पहले ही छोड़ दूँ (ड्रॉप आउट हो जाऊँ) तो क्या मुझे फिर भी इंटरशिप प्रमाणपत्र मिलेगा?

उत्तर :- नहीं, इंटरशिप बीच में छोड़ने वाले प्रशिक्षुओं को इंटरशिप समाप्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।

41. क्या मैं अपनी वर्तमान इंटरशिप छोड़ने के बाद अन्य इंटरशिप के लिए पुनः आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर :- यदि आप अपनी वर्तमान इंटरशिप पूरी होने से पहले छोड़ देते हैं, तो आपको अपनी ज्वाइनिंग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पीएम इंटरशिप योजना के तहत किसी अन्य इंटरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

42. क्या मैं एक वर्ष की अवधि के बाद इंटरशिप के लिए पुनः आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर :- हां, पढ़ाई छोड़ चुके प्रशिक्षु एक वर्ष के बाद प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत इंटरशिप के लिए पुनः आवेदन करने के पात्र हैं।

43. क्या इंटरशिप शुरू होने से पहले कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा?

उत्तर :- नहीं। प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत प्रत्येक इंटरशिप के हिस्से के रूप में प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

44. क्या इंटरशिप के दौरान कोई प्रदर्शन मूल्यांकन होता है?

उत्तर :- हां, इंटर्न का समय-समय पर उनके प्रदर्शन, उपस्थिति और कंपनी की नीतियों के पालन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इंटर्न को पेशेवर रूप से बेहतर बनाने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए फीडबैक प्रदान किया जाएगा। ये मूल्यांकन भागीदार कंपनियों द्वारा किए जाएंगे।

45. एक प्रशिक्षु के रूप में मैं किस तरह की परियोजनाओं पर काम करूंगा?

उत्तर :- इंटर्न कंपनी की जरूरतों और इंटर्न के कौशल के आधार पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर काम करेंगे।

46. इंटरशिप के दौरान मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए?

उत्तर :- ड्रेस कोड की आवश्यकताएं कंपनी के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं। आम तौर पर, इंटर्न से पेशेवर तरीके से कपड़े पहनने और कंपनी की ड्रेस कोड नीतियों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

47. क्या इंटरशिप पूरी करने के बाद मुझे प्रमाण पत्र मिलेगा?

उत्तर :- हां, सफलतापूर्वक इंटरशिप पूरी करने वाले इंटर्न को साझेदार कंपनियों से पीएम इंटरशिप योजना के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

48. मंत्रालय प्रशिक्षुओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर कैसे मान्यता देगा?

उत्तर :- मंत्रालय प्रशिक्षुओं को उनके असाधारण प्रदर्शन, नवाचार और अन्य मानदंडों के आधार पर मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करेगा।

49. मेरी शिकायत या प्रश्नों का समाधान कैसे होगा?

उत्तर :- इंटर्न अपनी शिकायतें या प्रश्न इंटरशिप पोर्टल पर चैटबॉट सहित शिकायत निवारण उपकरणों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर उपलब्ध होगा। यह प्रणाली प्रश्नों के आसान पंजीकरण, वास्तविक समय ट्रैकिंग और समाधान की स्थिति पर अपडेट की सुविधा प्रदान करेगी।

उद्योग/कंपनी के लिए

भागीदारी के लिए मानदंड

50. प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए शीर्ष 500 कंपनियों को सूचीबद्ध करने के मानदंड क्या हैं?

उत्तर :- मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के औसत सीएसआर व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान की गई है।

51. मेरी कंपनी 500 कंपनियों की प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं है। क्या हम फिर भी प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना में भाग ले सकते हैं?

उत्तर :- हां, जो कंपनियां, बैंक या वित्तीय संस्थान शुरुआती 500 कंपनियों का हिस्सा नहीं हैं, वे भी इस योजना में भाग ले सकती हैं। हालांकि, उन्हें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी, जो योजना में कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के

आधार पर उनके समावेश का आकलन करेगा।

52. मेरी कंपनी सीधे इंटरशिप प्रदान नहीं कर सकती। मेरे पास और क्या विकल्प हैं?

उत्तर :- यदि कोई कंपनी सीधे इंटरशिप के अवसर प्रदान करने में असमर्थ है, तो वह इसके साथ गठजोड़ करके प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना में भाग ले सकती है: इसकी अग्रिम या पश्चवर्ती आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियाँ (जैसे, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या विक्रेता) अपने समूह के भीतर अन्य कंपनियाँ या संस्थान।

इंटरशिप विवरण

53. इंटरशिप की अवधि क्या है?

उत्तर :- इंटरशिप की अवधि 12 महीने है।

54. क्या इंटरशिप 12 महीने से अधिक बढ़ाई जा सकती है?

उत्तर :- इंटरशिप की अवधि 12 महीने निर्धारित है। प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

55. क्या कम्पनियों के लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है?

उत्तर :- हां, कंपनियों के लिए इंटरन को प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटरशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य वातावरण में व्यतीत हो, न कि प्रशिक्षण में।

56. क्या कंपनियों को प्रशिक्षुओं को पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक नियुक्त करना आवश्यक है?

उत्तर :- हां, कंपनियों को प्रत्येक इंटरन को जॉइन करने पर पर्यवेक्षक या सलाहकार नियुक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को प्रत्येक इंटरन के सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को प्रदान करने या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इंटरन को वित्तीय सहायता

57. प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या होगा?

उत्तर :- इंटरन को 12 महीने की पूरी इंटरशिप अवधि के दौरान ₹5,000 की मासिक सहायता मिलेगी। इस राशि में से:

- कंपनी इंटरन की उपस्थिति, आचरण और संबंधित कंपनी नीतियों के आधार पर अपने सीएसआर फंड से हर महीने 500 रुपये जारी करेगी।
- इसके बाद सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए इंटरन के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे 4,500 रुपये का भुगतान करेगी। कंपनी अपने स्वयं के फंड से अतिरिक्त मासिक सहायता प्रदान कर सकती है।

58. क्या कोई कंपनी इंटरन को मासिक सहायता के रूप में ₹500 से अधिक प्रदान कर सकती है?

उत्तर :- हां, यदि कोई कंपनी मासिक सहायता के रूप में ₹500 से अधिक प्रदान करना चाहती है, तो वह सीएसआर फंड द्वारा कवर किए गए ₹500 के अतिरिक्त, अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है।

इंटरन के लिए बीमा कवरेज:

59. क्या कंपनियां इंटरन को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं?

उत्तर :- नहीं, कंपनियां इंटरन को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। प्रत्येक इंटरन को भारत सरकार की बीमा योजनाओं के तहत कवर किया जाएगा:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

इन बीमा योजनाओं के लिए प्रीमियम का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। कंपनी इंटरन को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने का विकल्प चुन सकती है।

60. कंपनियां इंटरशिप के अवसर कैसे पोस्ट कर सकती हैं?

उत्तर :- साझेदार कंपनियों को पोर्टल पर एक समर्पित डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा जहां वे सीधे अपने इंटरशिप अवसरों को पोस्ट कर सकते हैं।

इंटरशिप पोस्टिंग:

61. इंटरशिप पोस्टिंग में क्या जानकारी शामिल की जानी चाहिए?

उत्तर :- इंटरशिप पोस्टिंग में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

- इंटरशिप का स्थान.
- इंटरशिप की भूमिकाएं और कार्य.
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक
- कंपनी द्वारा प्रदान की गई कोई भी सुविधा (जैसे, आवास, परिवहन, भोजन आदि)

62. क्या साझेदार कंपनियां अपने पोस्ट किए गए इंटरशिप अवसरों को संपादित या हटा सकती हैं?

उत्तर :- हां, अवसर की प्रारंभिक पोस्टिंग में किसी भी त्रुटि के मामले में भागीदार कंपनियों के पास इंटरशिप अवसर को हटाने या संपादित करने का विकल्प होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये परिवर्तन इंटरशिप अवसर पोस्ट करने के लिए निर्दिष्ट विंडो के भीतर किए जाने चाहिए।

63. पोर्टल पर कंपनी द्वारा किस प्रकार की इंटरशिप भूमिकाएं पोस्ट की जा सकती हैं?

उत्तर :- कंपनी को उन इंटरशिप भूमिकाओं को पोस्ट करना चाहिए जो इंटरन के कौशल विकास को प्रोत्साहित करें। कंपनियों को उन भूमिकाओं के लिए इंटरशिप की पेशकश नहीं करनी चाहिए जिनमें कौशल शामिल नहीं है, जैसे कि सफाई, डिलीवरी, कुली, सुरक्षा गार्ड, या ऑफिस बॉय।

64. कंपनी किसी इंटरन की योजना में भागीदारी की पुष्टि कैसे करती है?

उत्तर :- जब कोई इंटरन इंटरशिप में शामिल हो जाता है, तो कंपनी को पोर्टल पर उनकी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।

65. क्या कंपनियों के पास इंटरन के दुर्व्यवहार/कम प्रदर्शन/अनुपस्थिति के मामलों से निपटने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है?

उत्तर :- हां, प्रशिक्षुओं को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि किसी भी दुर्व्यवहार/दुर्व्यवहार/अनुपस्थिति के मामले में, कंपनी उनकी इंटरशिप समाप्त कर सकती है। शिकायत निवारण तंत्र के एक भाग के रूप में, कंपनी से एक नोडल व्यक्ति को पीएम इंटरशिप योजना पोर्टल के माध्यम से ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

66. क्या कंपनियों को प्रशिक्षुओं की निगरानी और मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करनी होगी?

उत्तर :- हां, कंपनियां इंटरन के प्रदर्शन का आकलन करने और उन्हें नियमित फीडबैक प्रदान करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन ढांचा तैयार कर सकती हैं। इस तंत्र का उपयोग इंटरन की भविष्य की रोजगार संभावनाओं पर निर्णय लेने के लिए भी किया जा सकता है।

67. इस योजना के लिए प्रशिक्षुओं की भर्ती के स्रोत क्या हैं?

उत्तर :- कंपनी केवल निर्दिष्ट पोर्टल से ही इंटरन की भर्ती कर सकती है। कंपनी द्वारा निर्दिष्ट नौकरी विवरण से मेल खाने वाले संभावित उम्मीदवारों की सूची पोर्टल पर दिखाई देगी। पोर्टल का एल्गोरिदम उम्मीदवारों की संभावित सूची को दर्शाएगा, जो इंटरशिप के अवसरों की संख्या से लगभग दोगुनी या तिगुनी होगी। कंपनियां पोर्टल से उम्मीदवारों का चयन करने में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती हैं।

68. क्या इंटरशिप प्रस्ताव नियोक्ता-कर्मचारी संबंध बनाता है?

उत्तर :- नहीं, इंटरशिप प्रस्ताव मंत्रालय, संबंधित कंपनी और चयनित इंटरन के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित नहीं करता है।

69. क्या इंटरशिप प्रस्ताव को भविष्य में रोजगार का वादा माना जा सकता है?

उत्तर :- नहीं, इंटरशिप प्रस्ताव को संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा इंटरशिप अवधि के दौरान या उसके बाद भविष्य में रोजगार देने के वादे के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

70. क्या प्रशिक्षुओं को संस्थान के नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है?

उत्तर :- हां, प्रशिक्षुओं को संस्थान के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जिनमें समय, छुट्टियां, अवकाश, आचरण और अनुशासन से संबंधित नियम शामिल हैं।

प्रदर्शन की मान्यता:

71. कंपनियां उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को कैसे मान्यता दे सकती हैं?

उत्तर :- कंपनियां उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को कई तरीकों से मान्यता दे सकती हैं, जैसे:

- कंपनी की वेबसाइट या सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना।
- उन्हें कंपनी के समाचारपत्रों या सफलता की कहानियों में शामिल करना।
- पुरस्कार या प्रमाण पत्र प्रदान करना।

- आगे विकास या उन्नति के अवसर प्रदान करना।

72. मंत्रालय कम्पनियों को उनके प्रदर्शन के लिए किस प्रकार मान्यता देगा?

उत्तर :- मंत्रालय असाधारण प्रदर्शन, नवाचार और अन्य मानदंडों के आधार पर कंपनियों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करेगा।

पढ़ाई छोड़ने के मामले:

73. यदि कोई इंटरन इंटरशिप पूरी होने से पहले ही वापस ले लेता है या छोड़ देता है तो क्या होगा?

उत्तर :- यदि कोई इंटरन वापस ले लेता है या पढ़ाई छोड़ देता है, तो कंपनी को इंटरन को "ड्रॉपआउट" के रूप में चिह्नित करके पोर्टल के माध्यम से सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए। इससे उम्मीदवार को आगे भुगतान होने से रोका जा सकेगा।

74. किसी इंटरन को ड्रॉपआउट मानने के सामान्य मानदंड क्या हैं?

उत्तर :- किसी इंटरन को ड्रॉपआउट माना जा सकता है यदि वह:

- अचानक और बिना किसी सूचना के उनकी इंटरशिप आवश्यकताओं पर ध्यान देना बंद कर दें।
- अपने गुरु या पर्यवेक्षक द्वारा दो बार संवाद करने के प्रयास के बावजूद प्रतिक्रिया देने या पुनः शामिल होने में असफल होना।
- आगे जारी रखने की अनिच्छा व्यक्त करें।

इंटरशिप के तौर-तरीके:

75. क्या कंपनी के दिशानिर्देश प्रशिक्षुओं की छुट्टी नीति को नियंत्रित करेंगे?

उत्तर :- हां, इंटरन के लिए छुट्टी नीति कंपनी के आंतरिक दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगी। इसमें बीमारी की छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी और अन्य प्रकार की छुट्टियों की नीतियां शामिल हो सकती हैं।

76. क्या इंटरन अवकाश ले सकते हैं?

उत्तर :- चिकित्सा आपातस्थिति या पारिवारिक आपातस्थिति जैसी असाधारण परिस्थितियों में, प्रशिक्षुओं को कंपनी की नीतियों और/या मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार दो महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है।

77. क्या प्रशिक्षुओं को अवकाश के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी?

उत्तर :- अवकाश अवधि के दौरान कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

78. यदि किसी इंटरन की अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो जाए तो क्या होगा?

उत्तर :- यदि अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो जाती है, तो प्रशिक्षु को अपनी इंटरशिप बंद करनी होगी और अगले इंटरशिप प्रस्ताव चक्र में पुनः आवेदन करना होगा।

79. क्या कंपनियां आवास, परिवहन, कैंटीन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं?

उत्तर :- कंपनियों को इंटरन को आवास, परिवहन या कैंटीन जैसी सुविधाएं प्रदान करने की बाध्यता नहीं है। हालांकि, अगर वे इसे आवश्यक या लाभकारी मानते हैं तो उनके पास ये सुविधाएं प्रदान करने की लचीलापन है।

समाप्ति का प्रमाणपत्र:

80. क्या कंपनियों को प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण समाप्ति प्रमाणपत्र देना होगा?

उत्तर :- हां, कंपनियों को इंटरन को पूरा होने का प्रमाण पत्र देना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाण पत्र केवल भागीदार कंपनी द्वारा वितरित किया जाए।

पोर्टल प्रश्न:

81. उद्योग/कंपनी की ओर से किस प्रकार के उपयोगकर्ताओं को पोर्टल तक पहुंचने की अनुमति है?

उत्तर :- निम्नलिखित उपयोगकर्ता प्रकारों को पोर्टल तक पहुंच है:

- कंपनी व्यवस्थापक: कंपनी प्रोफ़ाइल स्थापित करने और कंपनी और नेटवर्क संस्थाओं के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और कंपनी की इंटरशिप योजना की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार।
- नोडल अधिकारी: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है, इंटरशिप योजना का प्रबंधन करता है, मानव संसाधन नियुक्त करता है, और शिकायतों का निपटारा करता है।
- मानव संसाधन: इंटरशिप पोस्टिंग का प्रबंधन, आवेदनों की देखरेख, तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति।

- पर्यवेक्षक/संरक्षक: प्रशिक्षुओं के लिए संपर्क बिंदु। प्रशिक्षुओं की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, सीखने और विकास तथा कार्यप्रवाह के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।

82. नोडल अधिकारी की भूमिका क्या है?

उत्तर :- नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना से संबंधित सभी संचार के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। वे कंपनी की इंटरशिप योजना का प्रबंधन करते हैं, एचआर नियुक्त करते हैं, और शिकायतों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

83. एक मानव संसाधन विभाग को कितने प्रशिक्षु नियुक्त किये जा सकते हैं?

उत्तर :- कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) प्रत्येक 100 इंटरन के लिए 1 एचआर के अनुपात की सिफारिश करता है।

84. क्या नेटवर्क संस्थाएं मूल कंपनी की ओर से इंटरशिप पोस्ट कर सकती हैं?

उत्तर :- नहीं, समूह की कंपनियाँ, सहायक कंपनियाँ, संबद्ध ठेकेदार, विक्रेता और वितरक मूल कंपनी की ओर से इंटरशिप पोस्ट नहीं कर सकते। वे केवल अपने संगठन के लिए ही इंटरशिप पोस्ट कर सकते हैं।

85. कंपनी प्रशासक उम्मीदवारों द्वारा दर्ज शिकायतों को कैसे देख सकते हैं?

उत्तर :- एडमिन उपयोगकर्ता किसी विशेष उम्मीदवार द्वारा मूल कंपनी या समूह इकाई के विरुद्ध सिस्टम में दर्ज शिकायतों की जांच कर सकता है।

86. क्या एचआर उपयोगकर्ता अपनी कंपनी के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की संख्या देख सकते हैं?

उत्तर :- हां, एचआर उपयोगकर्ता अपनी कंपनी के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की संख्या देख सकते हैं।